प्रेस नोट

दिनांकः 18.11.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 12 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹2,63,000 नकद व 12 मोबाइल फोन सहित जुआ खेलने की अन्य सामग्री बरामद-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17/18.11.2026 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस रात्रि गश्त एवं वारंटी की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान मनकापुर बस अड्डे पर कोबरा मोबाइल टीम के कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुभाष नगर कॉलोनी में सोनू सोनी के घर के सामने स्थित मैदान में कुछ व्यक्ति स्ट्रीट लाइट के उजाले में ताश के पत्तों से रुपये की हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए दबिश दी गई, जहां 12 व्यक्ति कपड़े की बेडशीट पर ताश के पत्तों से रुपये की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस टीम द्वारा मौके से सभी 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से जुए की फड़ के ₹2,63,000 नकद, ताश के 52 पत्ते तथा जामा तलाशी से ₹4,190 नकद एवं 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त मौके से 04 डिब्बी सिगरेट, 02 अदद माचिस, 01 लाइटर एवं 01 बेडशीट बरामद हुई। इस प्रकार कुल ₹2,67,190 नकद बरामदगी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सगीर पुत्र जमील निवासी इमामबाड़ा, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
2. राहुल पुत्र खुशीराम निवासी कटहरिया मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
3. अमन पुत्र रक्षाराम निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
4. अकबर पुत्र इस्लाम निवासी सुभाष नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
5. इरफान पुत्र साबिर निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
6. लल्लू उर्फ कपिल कुमार पुत्र परम प्रकाश गुप्ता निवासी पंत नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
7. मोहम्मद शोयेब पुत्र मोहम्मद रईस निवासी अहिरान मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
8. अनिल कुमार पुत्र राम सेवक निवासी जानकी नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
9. असलम पुत्र हफीज निवासी मोहल्ला महाराजगंज, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
10. नूर मोहम्मद पुत्र नन्हे निवासी सुभाष नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
11. सोनू उर्फ शिवानन्द सोनी पुत्र भगवती प्रसाद सोनी निवासी सुभाष नगर, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
12. अभिषेक कुमार पुत्र प्रभात कुमार निवासी शिवपुरी कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।

बरामदगी-

1. जुआ खेलने की फड़ से ₹2,63,000 नकद।
2. जामा तलाशी से ₹4,190 नकद।
3. 12 अदद मोबाइल फोन।
4. ताश के 52 पत्ते।
5. 04 डिब्बी सिगरेट।
6. 02 अदद माचिस।
7. 01 अदद लाइटर।
8. 01 अदद बेडशीट।

कुल नकद बरामदगी – ₹2,67,190/-

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 –1059/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम प्रकाश चन्द, प्रभारी चौकी महाराजगंज।
2. हे0का0 गिरिजेश यादव।
3. हे0का0 रवि प्रकाश।
4. का0 विपिन पाण्डेय।
5. का0 अंगद शर्मा।
6. का0 पीयूष कुमार गोस्वामी।
7. का0 संतोष कुमार।
8. का0 विजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 18.11.2026

यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक-

यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत आज दिनांक 18.11.2026 को क्षेत्राधिकारी यातायात की उपस्थिति में प्रभारी यातायात द्वारा भैया राघव राम पाण्डेय इंटर कॉलेज, गोण्डा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाएं, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा नशे की हालत में वाहन न चलाएं। साथ ही सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया तथा स्वयं यातायात नियमों का पालन करने एवं दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई।

मीडिया सेल, गोण्डा।